Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC)

समाजशास्त्र

(मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ सहित)

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: MPM01

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC)

समाजशास्त्र

(मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ सहित)

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 8750187501, 011-47532596
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

MPPCS DLP विषय सूची (Contents)

1.	**समाजशास्त्र**		**5–18**
	1.1	समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा	5
	1.2	समाजशास्त्र का विषय-क्षेत्र	6
	1.3	समाजशास्त्र के उद्‌भव में औद्योगिक क्रांति तथा फ्राँस की क्रांति के प्रभाव	9
	1.4	समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध	11
	1.5	समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियाँ	15
2.	**समाज की अवधारण**		**19–22**
	2.1	समाज का अर्थ एवं परिभाषा	19
	2.2	मैकाइवर तथा पेज के अनुसार समाज के तत्त्व	20
3.	**समाज के प्रकार**		**23–26**
	3.1	जनजातीय समाज	23
	3.2	कृषक समाज	24
	3.3	औद्योगिक समाज	25
	3.4	उत्तर-औद्योगिक समाज	25
4.	**सभ्यता एवं संस्कृति**		**27–34**
	4.1	सभ्यता का अर्थ एवं परिभाषा	27
	4.2	सभ्यता की विशेषताएँ	27
	4.3	संस्कृति का अर्थ एवं परिभाषा	28
	4.4	संस्कृति की विशेषताएँ (लक्षण)	28
	4.5	सस्कृति का संगठन (एकीकरण)	30
	4.6	सभ्यता एवं संस्कृति में संबंध	31
	4.7	सभ्यता एवं संस्कृति में अंतर	32
	4.8	सामाजिक समरसता के घटक	32
5.	**भारतीय संस्कृति की विशेषताएँ**		**35–43**
	5.1	धर्म	35
	5.2	पुरुषार्थ/पुरुषार्थ चतुष्टय	37
	5.3	कर्म तथा पुर्नजन्म सिद्धांत	42
6.	**भारतीय संस्कृति के मूल तत्त्व**		**44–58**
	6.1	वर्ण व्यवस्था	44
	6.2	आश्रम व्यवस्था	49
	6.3	संस्कार : विविध संदर्भ	54

7.	**भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**		**59–69**
	7.1	प्रागैतिहासिक काल	59
	7.2	मध्यकाल	60
	7.3	आधुनिक काल	61
8.	**धर्म एवं पंथों का भारतीय समाज पर प्रभाव**		**70–74**
	8.1	भारतीय समाज पर बौद्ध धर्म का प्रभाव	70
	8.2	भारतीय समाज पर इस्लाम का प्रभाव	71
	8.3	भारतीय समाज पर पश्चिम का प्रभाव	72
9.	**विवाह**		**75–88**
	9.1	विवाह का अर्थ एवं परिभाषा	75
	9.2	विवाह की उत्पत्ति	75
	9.3	विवाह के प्रकार	77
	9.4	विवाह के उद्देश्य	82
	9.5	विवाह का संस्थागत महत्त्व	83
	9.6	विवाह में परिवर्तन के कारण	84
	9.7	विवाह में आधुनिक परिवर्तन	85
10.	**पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास**		**89–107**
	10.1	पंचायती राज	89
	10.2	मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन	91
	10.3	सामुदायिक विकास कार्यक्रम	93
	10.4	सामुदायिक विकास में गैर-सरकारी संगठनों (NGO) की भूमिका	93
	10.5	स्वसेवा के क्षेत्र में ग्रामीण विकास की नवीन प्रवृत्तियाँ	94
	10.6	कुटुम्ब न्यायालय	95
	10.7	अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र	102
11.	**मध्य प्रदेश में जनजाति समाज**		**108–128**
	11.1	भील जनजाति	110
	11.2	गोंड जनजाति	112
	11.3	बैगा जनजाति	113
	11.4	कोल जनजाति	114
	11.5	भारिया जनजाति	115
	11.6	सहरिया जनजाति	116
	11.7	पारधी जनजाति	116
	11.8	अगरिया जनजाति	117
	11.9	खैरवार जनजाति	117
	11.10	पनिका (पनका) जनजाति	117
	11.11	बंजारा जनजाति	118
	11.12	कोरकू जनजाति	118
	11.13	जनजाति संस्कृति	119
12.	**शिक्षा एवं स्वास्थ्य**		**129–142**
	12.1	महिला शिक्षा	129
	12.2	प्रसार शिक्षा : अंग, चरण एवं विस्तार	131
	12.3	स्वास्थ्य शिक्षा	140

अध्याय
1

समाजशास्त्र (Sociology)

यह बात सही है कि मनुष्य आदिकाल से ही समाज में रहता रहा है लेकिन उसने समाज तथा स्वयं के अध्ययन में काफी देर से रुचि लेना शुरु किया है। सबसे पहले उसने प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया तथा उसके बाद अपने चारों ओर के पर्यावरण को समझने का प्रयास किया तथा अंत में स्वयं के अपने समाज के बारे में सोच-विचार करना प्रारंभ किया। यहीं कारण है कि सर्वप्रथम प्राकृतिक विज्ञानों का विकास हुआ। उसके बाद सामाजिक विज्ञानों का विकास हुआ। सामाजिक विज्ञानों के विकास-क्रम में एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास काफी बाद में हुआ था।

समाजशास्त्र विषय की उपयोगिता के संदर्भ में कहा जाता है कि जटिल समाजों तथा विभिन्न सामाजिक घटनाओं को समझने हेतु समाजशास्त्र की आवश्यकता का अनुभव हुआ। समाजशास्त्र के विकास के संबंध में विभिन्न विचारकों के विचार इस प्रकार है-

टी.बी. बोटोमोर: इनका कहना है कि हज़ारों वर्षों से लोगों ने उन समाजों और समूहों का अवलोकन एवं चिंतन किया जिसमें वे रहते हैं। फिर भी समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है लेकिन एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है।

डॉन मार्टिण्डेल: इनका कहना है कि यदि मानव प्रकृति से दार्शनिक है तो स्वभावत: वह समाजशास्त्री भी है क्योंकि सामाजिक जीवन उसका स्वभाविक उद्देश्य है। लेकिन समाज में रहने, सामाजिक संबंध स्थापित करने एवं सामाजिक जीवन में भागीदार बनने मात्र से व्यक्ति समाजशास्त्री नहीं बन जाता। अत: आवश्यकता इस बात की है कि सबसे पहले यह समझने का प्रयास किया जाए कि सही रूप में समाजशास्त्र क्या है?

1.1 समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा *(Meaning and Definition of Sociology)*

समाजशास्त्र का अर्थ *(Meaning of Sociology)*

समाजशास्त्र (सोशियोलॉजी) शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है। इसमें एक शब्द लैटिन भाषा का 'Socious' (सोशियस) जिसका अर्थ समाज है तथा दूसरा शब्द ग्रीक भाषा का 'Logus' (लोगस) है जिसका अर्थ 'शास्त्र (अध्ययन) या विज्ञान' है। इस प्रकार समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का शास्त्र (अध्ययन) या समाज का विज्ञान है।

समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 1938 में फ्राँस के महान दार्शनिक 'ऑगस्त कॉम्ट' (August comte) ने किया था। कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य समाज की प्रकृति, प्राकृतिक कारणों तथा प्राकृतिक नियमों की खोज से है।

समाजशास्त्र को एक नवीन विषय का रूप देने का श्रेय अगस्त कॉम्ट को ही जाता है। इन्हें ही समाजशास्त्र का जनक या पिता (Father of sociology) कहा जाता है।

समाजशास्त्र की परिभाषा *(Definition of Sociology)*

समाज में व्याप्त सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाले विज्ञान को समाजशास्त्र कहा जाता है। समाजशास्त्र को स्पष्ट करने के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने समय-समय पर अपने विचार व्यक्त किये है।

उन प्रमुख विद्वानों के अनुसार समाजशास्त्र की परिभाषा को निम्नलिखित भागों में बाँटा गया है-

- समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में।
- समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में।
- समाजशास्त्र सामाजिक अंत: क्रियाओं के अध्ययन के रूप में।
- समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में।

ऐतिहासिक पद्धति

अंग्रेजी से संबंधित 'History' शब्द 'Historia' से बना है जिसका तात्पर्य खोजकर अथवा सीखकर ज्ञान प्राप्त करना है। ऐतिहासिक पद्धति का तात्पर्य किसी घटना अथवा समस्या से संबंधित कारकों को उसके अतीत में खोजना। इस पद्धति या विधि का मूल उद्देश्य किसी घटना के उद्गम, विकास अथवा परिवर्तन से संबंधित उन कारकों या विशिष्ट दशाओं का विवरण प्रस्तुत करना है जो किसी भी कारण से संबंधित रही है।

श्रीमति पी. वी. यंग: इनके अनुसार, "ऐतिहासिक पद्धति आगमन के सिद्धांतों के आधार पर अतीत की उन सामाजिक शक्तियों की खोज है जिन्होंने कि वर्तमान को ढाला है।"

सांख्यिकी पद्धति

यह एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से सामाजिक घटनाओं अथवा तथ्यों को गणितीय रूप में मापा जाता है। इस पद्धति के माध्यम से समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों को संख्यात्मक या परिमाणात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

सेलिगमेन: इनके अनुसार, "सांख्यिकी वह विज्ञान है जो उन संख्यात्मक तथ्यों के संकलन, प्रस्तुतीकरण, तुलना तथा निर्वाचन की विधियों से संबंधित है जिनको जाँच के किसी भी क्षेत्र पर प्रकास डालने के लिये एकत्रित किया गया है।

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऑगस्त कॉम्ट ने किया था।
- दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र के कुल तीन भाग है जैसे- समाजिक स्वरूपशास्त्र, सामाजिक शरीरशास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र।
- ए. एल. क्रोबर ने समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र को जुड़वा बहने कहा है।
- समाजशास्त्र (सोशियोलॉजी) 'लैटिक' भाषा के 'सोशियस' (Socious) एवं 'ग्रीक' भाषा के 'लोगस' (Logus) से मिलकर बना है।
- समाजशास्त्र का जनक या पितामह ऑगस्त कॉम्ट को ही माना जाता है।
- समाजशास्त्र के लिये उपयोगी पुस्तक 'ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री' के लेखक 'आर्नल्ड टॉयनवी' है।
- 'द स्पिरिट ऑफ लॉ' नामक पुस्तक के लेखक 'मॉन्टेस्क्यू' है।
- औद्योगिक क्रांति की शुरूआत 18वीं सदी के उत्तरार्द्ध में ब्रिटेन में हुई।
- 'द सोशल कॉन्ट्रैक्ट' नामक पुस्तक के लेखक रूसो है।

अति लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर 10 शब्दों/एक पंक्ति में दीजिये)

1. समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र को जुड़वा बहने किसने कहा था?
2. समाजशास्त्र शब्द को परिभाषित कीजिये?
3. सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग कब एवं किसने किया था?

लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर 50 शब्दों या 5 से 6 पंक्तियों में दीजिये)

1. गिलिन और गिलिन के अनुसार समाजशास्त्र क्या है?
2. समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियाँ कौन-कौन सी है?

दीर्घउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिये)

1. समाजशास्त्र के विषय-क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिये।
2. समाजशास्त्र के उद्भव में औद्योगिक क्रांति के प्रभावों को समझाइये।
3. समाजशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र के मध्य क्या संबंध है? स्पष्ट कीजिये।
4. समाजशास्त्र के उद्भव में फ्राँसीसी क्रांति का क्या प्रभाव था? विवेचना कीजिये।
5. समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियों से संबंधित गुणात्मक पद्धतियों को समझाइये।

अध्याय
2

समाज की अवधारण (Concept of Society)

समाज वास्तविक रूप में क्या है? इसकी क्या विशेषता है? समाजशास्त्र की केंद्रीय अवधारणा समाज ही हैं। इसलिये इसके बारे में जानना आवश्यक है। हम सभी अपने दिन-प्रतिदिन के जीवन में कई बार समाज शब्द का प्रयोग करते है। सामान्यत: 'समाज' शब्द का अर्थ व्यक्तियों के समूह से लगाया जाता है। लेकिन **वास्तविक रूप में समाज मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का जाल है।** मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा उसकी शारीरिक मानसिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति समाज से ही होती है इसलिये वह समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित करता है। वास्तविक रूप में समाज के अन्य सदस्यों के साथ संबंध स्थापित करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति व्यक्ति में पाई जाती है। जिसे वह सामाजिक अंत: क्रिया के परिणामस्वरूप विकसित करता है।

2.1 समाज का अर्थ एवं परिभाषा *(Meaning and Definition of Society)*

समाज का अर्थ *(Meaning of Society)*

सामान्यत: बोल-चाल की भाषा में समाज शब्द का प्रयोग बहुत ही मनमाने तरीके से होता है। बहुत से लोग मनुष्यों के किसी विशेष धर्म, भाषा अथवा संस्कृति से संबंधित समूह एवं संगठन आदि को समाज कह देते है। जैसे- हिन्दू समाज, मुस्लिम समाज, शिक्षक समाज, जैन समाज आदि का प्रयोग करते हैं लेकिन ये सभी शब्द अवैज्ञानिक है। **समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में समाज शब्द का अर्थ लोगों के मध्य उत्पन्न होने वाली अंत: क्रिया के नियमों के सम्मिलित स्वरूप से है।** समाज शब्द केवल लोगों के किसी समूह से संबंधित नहीं है। व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों से ही समाज का निर्माण होता है

मैकाइवर एवं पेज: इनके अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है।

यदि हम समाज के अंग्रेजी रूप सोसायटी (Society) का विश्लेषण करते है तो हमें समाज के व्यापक अर्थ की जानकारी होती है। 'SOCIETY' शब्द का विश्लेषण इस प्रकार है-

समाज का अंग्रेजी रूपांतरित शब्द 'SOCIETY'		
S	⇒	'Social relation'
O	⇒	'Organization'
C	⇒	'Consciousness'
I	⇒	'Interaction'
E	⇒	'Effectiveness'
T	⇒	'Traditions'
Y	⇒	'Yielding'

समाज शब्द के अंग्रेजी रूपांतरित सोसायटी (Society) का-विश्लेषण करने के पश्चात् हम समाज के बारे में कह सकते है कि-

- समाज में सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं।
- समाज में विभिन्न संगठनों का निर्माण होता है।
- समाज के अंतर्गत व्यक्तियों में चेतना एवं अंत: क्रिया होती है।
- समाज में परम्पराओं का निर्वहन किया जाता है।
- समाज व्यक्तियों के जीवन पर प्रभाव डालता है।
- समाज भौतिक एवं सामाजिक उन्नति करता है।
- समाज व्यक्तियों में नम्रता एवं समर्पण की भावना लाता है।

समाज की परिभाषा *(Definition of Society)*

विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समाज को किसी न किसी रूप में भिन्न-भिन्न तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं-

राइट: इनके अनुसार, "समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, यह समाज में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था है।"

अध्याय
3

समाज के प्रकार (Types of Society)

माना जाता है कि भारत आदिकाल से ही विभिन्न संप्रदायों, धर्मों, मतों, प्रजातियों, संस्कृतियों, जातियों तथा जनजातियों की कर्मभूमि रहा है। कहा जाता है कि इन सभी ने यहाँ की सामाजिक व्यवस्था तथा संगठन के निर्माण में विशेष योगदान दिया है तथा उन्हें एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया। इनमें भारतीय समाज के प्रमुख आधार, ग्राम व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, जाति प्रथा, जनजाति, आश्रम व्यवस्था, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत तथा संस्कार व्यवस्था आदि है।

3.1 जनजातीय समाज *(Tribal Society)*

वन्यजाति अथवा जनजाति को विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है जैसे- आदिम, वनवासी, आदिवासी, गिरीजन, अनुसूचित जनजाति आदि। इन्हें आदिम अथवा आदिवासी कहने के पीछे मूल तर्क यह दिया जाता है कि ये भारत के प्राचीनतम निवासी है तथा अनुमानतः द्रविडों के भारत आगमन के पूर्व ही यहीं लोग (आदिवासी अथवा आदिम) यहाँ निवास करते थे।

वेरियर ऐल्विनः इन्होंने लिखा है कि "आदिवासी भारतवर्ष की वास्तविक स्वदेशी उपज है जिनकी उपस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति विदेशी है। ये वे प्राचीन लोग हैं जिनके नैतिक अधिकार और दावे हज़ारों वर्ष पुराने हैं।"

जनजाति की परिभाषा *(Definition of Tribe)*

एक ऐसा क्षेत्रीय मानव समूह जिसकी अपनी एक सामान्य संस्कृति, भाषा, व्यवसाय एवं राजनीतिक संगठन होता है तथा सामान्यतः वह अंतर्विवाह के नियमों का पालन करता है, वह जनजाति कहलाता है।

विभिन्न प्रमुख विद्वानों ने जनजाति को अपने-अपने तरीके से स्पष्ट करने का प्रयास किया है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं-

डॉ. रिवर्सः इनके अनुसार, "जनजाति एक ऐसा सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिये सम्मिलित रूप से कार्य करते है।"

चार्ल्स विनिकः इनके अनुसार, "एक जनजाति में क्षेत्र, भाषा, सांस्कृतिक समरूपता तथा एक सूत्र में बँधने वाला सामाजिक संगठन आता है। यह सामाजिक उपसमूहों जैसे- गोत्रों या गाँवों को सम्मिलित कर सकता है।"

जनजाति के लक्षण (विशेषताएँ) *(Characteristics of Tribe)*

जनजाति से संबंधित प्रमुख लक्षण (विशेषताएँ) इस प्रकार है-

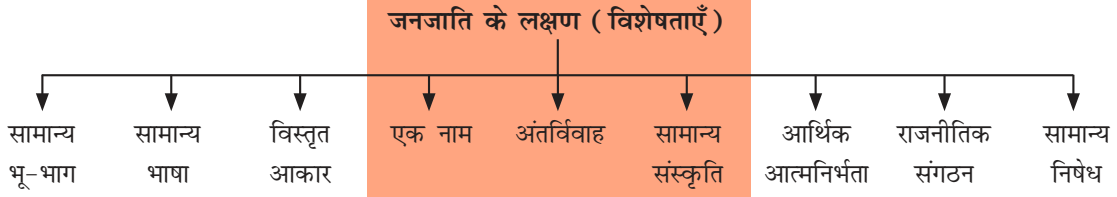

- **सामान्य भू-भागः** सामान्य भू-भाग के संदर्भ में कहा जाता है कि एक जनजाति एक निश्चित भू-भाग में ही निवास करती है जिसके कारण उसका उस भू-भाग से लगाव हो जाता है साथ ही उसके सदस्यों में मजबूत सामुदायिक भावना का विकास हो जाता है।
- **समान्य भाषाः** सामान्य भाषा के संदर्भ में कहा जाता है कि एक जनजाति के लोग एक सामान्य भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों का आदान-प्रदान करते है। वे अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसी सामान्य भाषा के माध्यम से हस्तांतरण करते है परंतु सभ्यता के संपर्क के कारण एक से अधिक जनजातियाँ द्विभाषी हो गई है।

अध्याय
4

सभ्यता एवं संस्कृति (Civilization and Culture)

सामान्यत: हम 'सभ्यता एवं संस्कृति' को समानार्थी मान लेते है जो पूर्ण रूप से सही नहीं है क्योंकि सभ्यता में भौतिक पक्ष प्रमुख होता है लेकिन संस्कृति में वैचारिक पक्ष प्रमुख होता है। उदाहरण स्वरूप यदि हम किसी फूल को ले तो जो एक फूल है वह सभ्यता की तरह है तथा जो उस फूल की सुगंध है वो है संस्कृति की तरह है। इसलिये जो हमारा शरीर है वो सभ्यता के प्रतीक की तरह है तथा जो हमारी आत्मा है वो संस्कृति के प्रतीक की तरह है।

मैकाइवर: इन्होंने सभ्यता को भौतिकवादी विकस माना है तथा संस्कृति को सभ्यता का वाहक कहा है। उन्होंने माना कि मानव की आवश्यकता अथवा उपयोगिता के दृष्टिकोण से ही सभ्यता का विकास देखा जाता है। इसलिये जैसे-जैसे मानव की आवश्यकताएँ बढ़ी वैसे-वैसे उनको पूरा करने के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुए बनायी गई। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मानव की उपयोगिता को पूरा करने हेतु निर्मित वस्तुएँ 'सभ्यता' का ही रूप या प्रतीक है।

4.1 सभ्यता का अर्थ एवं परिभाषा *(Meaning and Definition of Civilization)*

सभ्यता का अर्थ *(Meaning of Civilization)*

सभ्यता के अंग्रेजी रूपांतरण से संबंधित शब्द 'Civilized' की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द 'Civitas' एवं 'Civis' से हुई है सामान्यत: जिसका अर्थ 'नगर' अथवा 'नगर निवासी' है जो स्थायी रूप से एक स्थान पर रहते है एवं वे शिक्षित भी होते है तथा जिनका व्यवहार जटिल होता है।

सभ्यता की परिभाषा *(Definition of Civilization)*

सभ्यता को विभिन्न विचारकों ने अपने-अपने तरीके से परिभाषित किया है जिनमें से कुछ इस प्रकार है-

टायलर: इनका मानना है कि "सभ्यता मानव जाति की वह विकसित अवस्था है जिसमें उच्च श्रेणी के वैयक्तिक एवं सामाजिक संगठन पाए जाते हैं। जिसका उद्देश्य मानव के गुणों, शक्ति एवं प्रसन्नता में वृद्धि करना है।"

मैकाइवर एवं पेज: इनका मानना है कि "सभ्यता में उन भौतिक तत्त्वों को गिनते हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और जो हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं।"

वही दूसरी तरफ उनका यह भी कहना है कि "सभ्यता से हमारा अर्थ उस संपूर्ण यंत्र पद्धति और संगठन से है जिसका मनुष्य ने अपने जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के लिये निर्मित किया है।"

गिलिन और गिलिन: इन्होंने माना है कि संस्कृति का जो अधिक जटिल एवं विकसित रूप है वहीं सभ्यता है।

4.2 सभ्यता की विशेषताएँ *(Characteristics of Civilization)*

सभ्यता से संबंधित प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित है-

- सभ्यता का हस्तांतरण और प्रसार सरलता से किया जाता है।
- संस्कृति के विकास के उच्च स्तर को सभ्यता ही व्यक्त करती है।
- सभ्यता में जो परिवर्तन होता है वो शीघ्र ही होता है।
- मानव द्वारा निर्मित जो भौतिक वस्तुएँ है उन्हें हम सभ्यता में ही सम्मिलित करते हैं।

अध्याय
5

भारतीय संस्कृति की विशेषताएँ (Features of Indian Culture)

भारतीय समाज की संस्कृति तथा समाज का आधार अत्यधिक प्राचीन है। अनेकोनेक भारतीय सामाजिक संस्थाओं का विकास वैदिक युग में ही हो गया था। वैदिक युग में- वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, विवाह, धर्म, कर्म आदि का उद्भव एवं विकास हुआ, अपितु भारतीय समाज को आधार प्रदान किया। समाज में श्रम विभाजन हेतु चार वर्णों-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की रचना की गई। इसी प्रकार पुरुषार्थों की प्राप्ति हेतु मनुष्य की आयु सौ वर्ष मानकर चार आश्रमों-ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में विभाजित किया गया। धर्म और कर्म को भी भारतीय संस्कृति में प्रमुख स्थान दिया गया है। धर्म और कर्म के अनुसार कार्य करने पर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, जो मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। इस प्रकार आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, धर्म और पुरुषार्थ भारतीय समाज को न केवल आधार प्रदान करते हैं अपितु दिशा-निर्देशित भी करते हैं।

5.1 धर्म *(Religion)*

धर्म की कोई एक ऐसी परिभाषा देना कठिन हो, जो प्रत्येक को संतुष्ट कर सके। मुख्य कठिनाई यह है कि अनेक व्यक्ति धर्म को केवल अपने धर्म के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तथा शेष सभी प्रकारों को अधर्म, धर्मविहीन, अंधविश्वास अथवा धर्म-विरोधी कहते हैं।

भारतीय/हिंदू सामाजिक संगठन की एक बहुत बड़ी विशेषता यह रही है कि इसमें जीवन के अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा न करते हुए धार्मिक जीवन की प्रधानता रही है। वस्तुतः प्राचीन काल में भारतीय जीवन के प्रायः सभी क्षेत्रों में धर्म का प्राबल्य था और आज भी इन सभी पर उसकी स्पष्ट छाप देखने को मिलती है।

धर्म का अर्थः धर्म के अर्थ को 'रिलिजन' शब्द के अनुवाद के रूप में नहीं समझा जा सकता। धर्म एक अत्यंत व्यापक अवधारणा है। धर्म उस मौलिक शक्ति के रूप में जाना जा सकता है, जो भौतिक और आध्यात्मिक अवस्था का आधार रूप है, जो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिये आवश्यक है।

- **गिलिन और गिलिनः** इन्होंने धर्म को परिभाषित करते हुए लिखा है, "एक सामाजिक समूह में व्याप्त उनके संवेगात्मक विश्वासों को जो किसी अलौकिक शक्ति से संबंधित हैं और साथ ही ऐसे विश्वासों से संबंधित प्रकट व्यवहारों, भौतिक वस्तुओं एवं प्रतीकों को धर्म के समाजशास्त्रीय क्षेत्र में सम्मिलित माना जा सकता है।"
- **फ्रेजरः** इनके अनुसार, "धर्म मनुष्य के उच्चतर शक्तियों में विश्वास और उन्हें शांत या प्रसन्न करने की कोशिश है।"
- **दुर्खीमः** इनके अनुसार, "धर्म पवित्र चीजों से जुड़े हुए विश्वासों और कर्मकांडों की एक संगठित व्यवस्था है अर्थात् ऐसी चीजें जो अलग हैं और जिन्हें करने की मनाही है, विश्वास और कर्मकांड एक अखंड नैतिक समुदाय में अपने सभी मानने वालों को संगठित करते हैं।"

धर्म के मौलिक लक्षण या विशेषताएँ *(Basic Characteristics or Features of Religion)*

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर धर्म के निम्नलिखित मौलिक लक्षणों या विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता है। जो इस प्रकार हैं-

- किसी सर्वश्रेष्ठ अलौकिक शक्ति पर विश्वास।
- इस शक्ति पर विश्वास के साथ-साथ उस शक्ति के प्रति श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेम की भावना।
- पवित्रता की धारणा धर्म की एक अन्य विशेषता है।

अध्याय
6

भारतीय संस्कृति के मूल तत्त्व (Basic Elements of Indian Culture)

भारत संस्कृति और परम्पराओं का देश है। विश्व में आज भी भारतीय संस्कृति और परम्पराओं का विशिष्ट पहचान है। भारत के निवासियों ने एक ऐसी समाज-व्यवस्था एवं संस्कृति का विकास किया है, जो अपने आप में मौलिक, अनूठी एवं विश्व की अन्य संस्कृतियों एवं समाज व्यवस्थाओं से भिन्न है। इस देश के महापुरुष, तीर्थस्थान, प्राचीन कलाकृतियाँ, धर्म दर्शन और सामाजिक संस्थाएँ भारतीय समाज एवं संस्कृति की सजग प्रहरी है। उन्होंने इस देश की संस्कृति को अजर-अमर बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

भारतीय समाज में विभिन्न व्यवस्थाओं को प्रस्थापित किया गया है, जैसे- वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, धर्म, कर्म, संयुक्त परिवार-व्यवस्था, जाति व्यवस्था आदि। इन उप-व्यवस्थाओं में वर्ण व्यवस्था भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन की केंद्रीय धुरी है, क्योंकि इसके द्वारा न केवल समाज को कुछ निश्चित वर्णों में बाँटा गया है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था और कल्याण को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य एवं कर्मों को भी निश्चित किया गया है। इस प्रकार जहाँ एक ओर वर्ण व्यवस्था समाज में सरल श्रम विभाजन की व्यवस्था करती है, वहीं दूसरी ओर आश्रम व्यवस्था द्वारा जीवन को चार स्तरों में बाँटकर तथा प्रत्येक स्तर पर कर्तव्यों के पालन का निर्देश देकर मानव-जीवन को सुनियोजित किया गया है। इसी प्रकार संस्कार शुद्धि की धार्मिक क्रियाओं तथा व्यक्ति की दैहिक, मानसिक एवं बौद्धिक परिष्कार के लिये जाने वाले अनुष्ठान है, जिससे व्यक्ति समाज का पूर्ण विकसित सदस्य बनता है।

6.1 वर्ण व्यवस्था *(Varna System)*

किसी भी समाज के व्यवस्थित संचालन हेतु आवश्यक माना जाता है कि सामाजिक कार्यों का विभाजन व्यक्ति की योग्यता, प्रकृति, प्रवृत्ति एवं उसके गुण व कर्मों के आधार पर किया जाए। व्यक्ति की कार्य क्षमता के आधार पर कर्म विभाजन करने को ही वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। साधारण शब्दों में इसे विवेचित कर सकते हैं- जिस व्यवस्था के द्वारा व्यक्ति अपनी कार्य क्षमता के आधार पर कर्म का वरण करता है, वह वर्ण व्यवस्था कहलाती है। वर्ण शब्द की उत्पत्ति 'वृ' धातु से मानी गई है जिसका अर्थ है- वरण करना या चुनना। इसके अतिरिक्त वर्ण शब्द 'रंग' के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। यद्यपि मनुस्मृति में वर्ण व जाति शब्द प्रायः एक ही अर्थ में प्रयोग किये गए हैं, जैसा कि वर्तमान में भी देखने को मिलता है।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था का मूलाधार इसी वर्णव्यवस्था को माना गया है। हालाँकि, विश्व भर के अधिकांश समाजों में सामाजिक स्तरीकरण का आधार 'वर्ग' को माना गया है, जबकि भारत में प्राचीनकाल से ही 'वर्ण एवं जाति' की व्यवस्था विद्यमान रही है। अनुमान है कि भारतीय समाज में कृषि विकास के परिणामस्वरूप एक नई उत्पादन व्यवस्था विकसित हुई जिसके संचालन के लिये श्रम विभाजन की आवश्यकता पड़ी और परिणामस्वरूप समाज में वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ। श्रम एवं व्यवसाय के आधार पर जन्मे इन सामाजिक वर्णों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र कहा गया।

धार्मिक क्रियाओं एवं ज्ञान का संपादन ब्राह्मणों का वर्ण-धर्म माना गया। प्रशासन एवं सत्ता का कार्य क्षत्रियों का, आर्थिक उत्पादन और वितरण कार्य वैश्यों का वर्ण-धर्म था, जबकि शूद्रों का वर्ण-धर्म शारीरिक श्रम एवं सेवा का कार्य माना गया था। व्यवसाय पर आधारित होने के कारण वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी। इस संदर्भ में ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध उद्धरण महत्त्वपूर्ण है- "मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माँ पत्थर की चक्की चलाती हैं। धन की कामना करने वाले विभिन्न प्रकार के कर्मों वाले हम एक साथ रहते हैं।" लेकिन यह स्थिति ज़्यादा समय तक कायम नहीं रही और समय के साथ वर्णाश्रम व्यवस्था काफी कठोर होती गई। पूर्व में जो वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी वह धीरे-धीरे जन्म पर आधारित हो

अध्याय
7

भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historic Background of Indian Society)

भारतीय समाज की प्रवृत्ति सदैव ही परिवर्तनशील रही है। प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक इसमें परिवर्तन होता रहा है। इसमें परिवर्तन हेतु अंतर्जात एवं बहिर्जात दोनों तरह के स्रोत उत्तरदाई रहे हैं। बौद्ध तथा जैन धर्म के उद्‌भव तथा भारतीय समाज पर इसके प्रभाव, इस्लाम का आगमन तथा भारतीय संस्कृति पर इनका प्रभाव एवं भारतीय समाज पर औपनिवेशिक शासन का प्रभावन आदि इस संबंध में महत्त्वपूर्ण हैं।

7.1 प्रागैतिहासिक काल *(Pre-historic Period)*

भारतीय समाज एवं संस्कृति प्राचीनतम है। अध्ययन की सुविधा हेतु इसे विभिन्न युगों में बाँटा गया है। खुदाई से प्राप्त अवशेषों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि इसका प्रादुर्भाव पाषाण काल में ही हो गया था। सभ्यता केवल सिंधु घाटी तक ही सीमित नहीं थी परंतु इसका विस्तार- पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात और उत्तरी राजस्थान तक था। यह एक नगरीय संस्कृति थी। धौलावीरा से एक उन्नत जल-प्रबधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। भवन पक्की ईंटों के बने हुए थे। नगर में नालियाँ एवं सड़के सुनियोजित रूप से बनी थीं। हड़प्पाई लोग मातृदेवी एवं शिवलिंग के उपासक थे। स्त्रियाँ आभूषण धारण करती थीं। वे सूती रेशमी तथा ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। लोग भोजन में गेहूँ, माँस, मछली, दूध, घी आदि का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में लेखन कार्य एवं भाषा का विकास हुआ था।

प्राचीन काल *(Ancient Period)*

प्राचीन काल के अंतर्गत निम्नलिखित कालों को सम्मिलित किया गया है-

वैदिक काल

आर्य लोग भारत में वैदिक संस्कृति के निर्माता थे। गाँवों में ग्राम पंचायत होती थी जिसका मुखिया ग्रामणी कहलाता था। समाज में स्त्रियों को उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त थी। सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियों को शिक्षा का भी अधिकार था तथा विधवा विवाह की अनुमति थी। आर्य लोग पशुपालन एवं कृषि कार्य करते थे। ऋग्वैदिक काल में गाय को महत्त्वपूर्ण एवं मूल्यवान संपित्त समझा जाता था। वे लोग अनेक देवी-देवताओं की पूजा करते थे। यज्ञ एवं हवन द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। गेहूँ, जौ, दूध, फल, मांस, सोमरस आदि का प्रयोग किया जाता था।

उत्तर वैदिक काल में आर्थों की संस्कृति का प्रसार भारत के अन्य भागों में भी होने लगा। वर्णाश्रम व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ हो गया। राजा का पद वंशानुगत था तथा वो कानून का संरक्षक माना जाता था। इस समय राजतंत्र के साथ गणतंत्र की भी स्थापना हुई।

जैन व बौद्ध काल

ईसा से छठी एवं सातवीं शताब्दी में भारत में भी ब्राह्मणवाद, जातिप्रथा, कर्मकांडों एवं अंधविश्वासों के विरोध स्वरूप बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का विकास हुआ। इन्हें हम सुधार आंदोलन कह सकते हैं जो हिन्दू धर्म में व्याप्त या संबंधित बुराइयों का अंत करना चाहते थें। उन्होंने लोगों को सद्‌मार्ग पर चलने को प्रेरित किया जिससे वे जीवन-मरण के बंधन से मुक्त हो सकें। महावीर द्वैतवाद प्रकृतिवाद तथा आत्मावाद में विश्वास करते थे। उन्होंने सम्यक् ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक धर्म के सिद्धांत के पालन की बात कहीं। गृहस्थ के लिये सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जैसे पंच-महाव्रतों को अपनाने की बात कहीं।

महात्मा बुद्ध के द्वारा भी लोगों को सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा दी गई। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। अतः जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, हिन्दू धर्म में आई या व्याप्त बुराइयों का अंत करना चाहते थे।

अध्याय
8

धर्म एवं पंथों का भारतीय समाज पर प्रभाव (Impact of Religions and Creeds on Indian Society)

भारतीय समाज पर धर्म एवं पंथों के प्रभाव के कारण ही हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में समानता की भावना आयी साथ ही कर्मकाण्डों में भी लचीलापन आया है। इसमें चाहें बौद्ध, जैन, इस्लाम धर्म की बात की जाए या फिर पश्चिम की यानी ब्रिटिश शासन एवं ईसाई मिशनरियों की इन सभी ने पूर्व में प्रचलित व्यवस्था को प्रभावित किया है जिसके परिणामस्वरूप उनमें सुधार एवं लचीलापन आया।

इनके प्रभाव से भारतीय समाज में समानता, स्वतंत्रता व धर्मनिरपेक्षता जैसे आधुनिक मूल्यों का प्रसार संभव हुआ। धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा का प्रभाव यह था कि रोजमर्रा के जीवन में धर्म के प्रभाव में कमी आई। ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से जो कानून बनाए गए उनका प्रभाव यह हुआ कि विधि के समक्ष समता के रूप में धर्म संहिताओं के प्रभाव में कमी आई।

8.1 भारतीय समाज पर बौद्ध धर्म का प्रभाव *(Impact of Buddhism on Indian Society)*

बौद्ध धर्म यथार्थवादी दृष्टिकोण (बुद्धि, तर्क तथा अनुभव पर जोर देने वाला) पर आधारित तथा सदाचार व अहिंसा पर बल देने वाला धर्म है।

बौद्ध धर्म लौकिक जगत की वास्तविकता पर बल देता है। इस धर्म में देवी-देवताओं, पुनर्जन्म, भाग्यवाद, गृहों-नक्षत्रों पर प्रभाव आदि पर विश्वास नहीं किया जाता है।

इस धर्म से संबंधित बहुत सारी मान्यताओं ने हिन्दू सामाजिक संगठन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। इससे संबंधित प्रमुख मान्यताएँ इस प्रकार है-

- समाज में समानता लाने हेतु दान की प्रथा द्वारा अधिशेष को पुनर्वितरित करने पर बल दिया।
- पुरुषों के समान ही स्त्रियों को दर्जा मिले इसके लिये स्वयं पहल की संघ में प्रवेश की अनुमति देकर।
- अपने 'स्व' को विकसित करके कोई भी व्यक्ति सोपानिक व्यवस्था के क्रम में ऊपर आ सकता है तथा निर्वाण प्राप्त कर सकता है।
- जाति व्यवस्था का आधार जन्म न होकर कर्म होना चाहिये क्योंकि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है।
- बौद्ध धर्म भाषाई सोपान को अस्वीकार करता है साथ ही धर्म विधियों पर संस्कृत भाषा जानने वाले ब्राह्मण वर्ग के वर्चस्व को समाप्त करने हेतु बौद्ध धर्म ने जन सामान्य से संबंधित 'पाली' भाषा को अंगीकार (अपनाया) किया।

बुद्ध का मुख्य उद्देश्य एक सभ्य समाज की स्थापना करना था नाकि पूर्ण समानतायुक्त समाज की स्थापना करना। बौद्ध धर्म की इन प्रमुख मान्यताओं ने परंपरागत 'भारतीय समाज' को विभिन्न रूपों में प्रभावित किया है जिसे प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है-

- बौद्ध धर्म के प्रभाव से कर्म का महत्त्व बढ़ा तथा हिन्दू समाज में व्याप्त भाग्यवादी धारण में कमी आई।
- बौद्ध धर्म से संबंधित मान्यताओं के प्रभावस्वरूप वर्णव्यवस्था कमजोर हुई।
- बौद्ध धर्म ने देशी भाषाओं को लोकप्रिय बनाया तथा देश की विभिन्न भाषाओं तथा बोलियों को भी समुचित महत्त्व दिया।
- बौद्ध धर्म ने समानता, सामाजिक न्याय एवं लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहित किया साथ ही भारत में लोकोपकारी एवं मानवतावादी भावनाओं को भी प्रचलित किया।

अध्याय
9

विवाह (Marriage)

विवाह एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। विवाह नामक संस्था को प्रत्येक समाज में देखा जा सकता है। विवाह के लिये चाहे वो आदिम समाज हो या आधुनिक समाज परंतु इसकी प्रकृति में अंतर देखने को मिलता है। विवाह नामक संस्था में पाया जाने वाला यह अंतर सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण होता है। विवाह के माध्यम से दो विषम लिंगी लोग एक साथ रहने की स्वीकृति पाते हैं। परंतु वर्तमान समय में विवाह नामक संस्था में कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं।

9.1 विवाह का अर्थ एवं परिभाषा *(Meaning and Definition of Marriage)*

विवाह का अर्थ *(Meaning of Marriage)*

विवाह का शाब्दिक अर्थ है, 'उद्वह' अर्थात् वधू को वर के घर ले जाना। विवाह को स्त्री एवं पुरुष के बीच ऐसे संबंधों के रूप में स्वीकार किया गया है जो संतानों के जन्म को वैध घोषित करते है तथा बच्चों को समाज में कुछ अधिकार एवं उत्तराधिकार तथा उत्तरदायित्व प्रदान करते हैं।

समाज द्वारा स्त्री-पुरुषों की एक-दूसरे के सहयोग एवं परिवार तथा समाज के स्थायी निवास हेतु विवाह संबंधित संस्था का जन्म हुआ। मानव के इस संसार को उनके सामाजिक सांस्कृति क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिये विवाह संस्था का निर्माण हुआ। अलग-अलग मानव शास्त्रियों तथा समाजशास्त्रियों ने विवाह को अलग-अलग प्रकार से परिभाषित किया है। जैसे-

विवाह की परिभाषा *(Definition of Marriage)*

विवाह के संबंध में विभिन्न समाजशस्त्रियों द्वारा विभिनन परिभाषाएँ दी गई हैं, जो इस प्रकार है-

बोगार्डस: इनके अनुसार, "विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है।"

मैलिनोस्की: इनके अनुसार, "विवाह बच्चों की उत्पत्ति और देखभाल हेतु इकरारनामा है।"

हार्टन एवं हण्ट: इनके अनुसार, "विवाह एक स्वीकृत सामाजिक प्रणाली है, जिसके अनुसार दो व्यक्ति या अधिक मिलकर परिवार की स्थापना करते हैं।"

एंडरसन एवं पार्कर: इनके अनुसार, "विवाह एक या अधिक पुरुषों तथा एक से अधिक स्त्रियों के बीच समाज द्वारा स्वीकृत स्थायी संबंध है जिसमें पितृत्व-हेतु संभोग की आकांक्षा निहित है।"

वेस्टरमार्क: इनके अनुसार, "विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और इसमें विवाह करने वाले व्यक्तियों के और उनके पैदा हुए संभावित बच्चों के बीच, एक-दूसरे के प्रति होने वाले अधिकारों एवं कर्तव्यों का समावेश होता है।"

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विवाह एक ऐसी संस्था है जो पुरुष और स्त्री को पारिवारिक जीवन स्थापित करने का अवसर प्रदान करती है। विवाह द्वारा यौन-संबंधों को स्थापित करने का अवसर प्रदान करती है।

9.2 विवाह की उत्पत्ति *(Origin of Marriage)*

महाभारत के एक पुरातन आख्यान से पता चलता है कि पति-पत्नी के रूप में स्त्री-पुरुष के स्थायी संबंधों की नीव ऋषि उद्यालक के पुत्र श्वेतकेतु ने डाली थी। इस आख्यान के अनुसार पुरातन समय में यौन साम्यवाद की स्थिति थी स्त्री-पुरुष यौन-संबंध अनियमित थे तथा स्त्रियों में भी यौन स्वतंत्रता थी। एक मान्य सामाजिक संस्था के रूप में विवाह का विवरण हमें सर्वप्रथम लिखित ग्रंथ में ऋगवेद में मिलता है। उत्तर वैदिक-काल में इसका उल्लेख अथर्ववेद में तथा शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। धर्मसूत्रों के समय इस संस्कार का काफी विस्तार हो चुका था तथा सामाजिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति के द्व

अध्याय
10

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास (Panchayati Raj and Rural Development)

पंचायती राज स्थानीय स्तर पर स्वशासन की एक व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रमुख आधार है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 29 दिसंबर, 1993 को विधानसभा में पारित किया गया एवं 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के साथ ही इसे 25 जनवरी, 1994 को संपूर्ण मध्यप्रदेश में लागू कर दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 2 अक्टूबर, 1952 को सामूदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारंभ करने की घोषणा को गई। वर्ष 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसका उद्देश्य पंचायती राजव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना था। बलवंत राय मेहता समिति की कमियों को दूर करने के लिये वर्ष 1977 में केंद्र सरकार द्वारा अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। वर्ष 1978 में इस समिति ने अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को सौंप दी।

ग्रामीण विकास का अर्थ लोगों का आर्थिक सुधार और बड़ा सामाजिक बदलाव दोनों ही है। प्रारंभ में विकास के लिये मुख्य जोर कृषि उद्योग, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं संबंधित क्षेत्रों पर दिया गया। बाद में यह महसूस किया गया कि सरकारी प्रयासों के साथ-साथ पर्याप्त रूप से जमींनी स्तर पर लोगों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में भागीदारी हो। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी योजनाओं का विकेंद्रीकरण, भूमि सुधारों को बेहतर तरीके से लागू करना और ऋण की आसान उपलब्धि करवाकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। लोकतंत्र वास्तविक अर्थों में तभी सफल होगा।

10.1 पंचायती राज *(Panchayati Raj)*

मध्यप्रदेश में पंचायती राज अधिनियम सर्वप्रथम 1962 में लागू किया गया तथा जिला पंचायत चुनाव पहली बार 1971 में हुआ।

73वें संविधान संशोधन 1992 के पंचायती राज अधिनियम 29 दिसंबर, 1993 को विधान सभा में पारित किया गया एवं 24 जनवरी, 1994 को राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के साथ ही इसे 25 जनवरी 1994 को संपूर्ण मध्यप्रदेश में लागू किया गया। इस अधिनियम के अनुसार राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के तीन स्तर हैं, जो इस प्रकार हैं-,

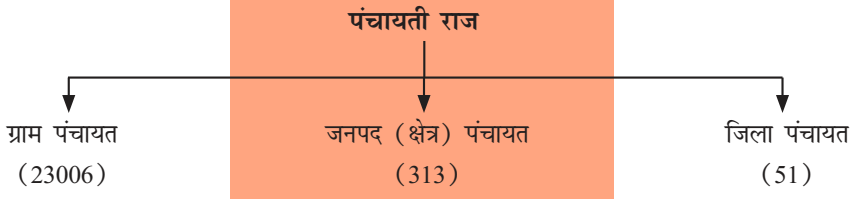

स्थानीय स्वशासन	
ग्राम पंचायत	• एक हजार आबादी वाले गाँव में एक ग्राम पंचायत गठित की जाएगी, जिसमें एक हजार की जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत में कम-से-कम 10 वार्ड बनाए जाएंगे। तथा एक हजार से ज्यादा जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत में अधिक-से-अधिक 20 वार्ड बनाए जाएंगे। • राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या 23006 है। इसका मुखिया, सरपंच व पंच सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि उप-सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से पंचों द्वारा निर्वाचित होते हैं। • प्रत्येक वार्डों की जनसंख्या लगभग एक सी होगी।

अध्याय
11

मध्य प्रदेश में जनजाति समाज (Tribal Society in Madhya Pradesh)

मध्य प्रदेश की एक पहचान उसकी अनूठी जनजातीय संस्कृति है। जनजातीय लोगों को आदिवासी भी कहा जाता है। ये दोनों शब्द इन जातियों की प्राचीनता का बोध कराते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची में अंकित होने के कारण ही आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजातियाँ कहा जाता है।

जनजाति समुदाय के लोग एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं, एक विशिष्ट प्रकार की भाषा या बोली बोलते हैं, आदिकालीन धर्म, रीति और परंपरा को मानते हैं तथा आदिकालीन सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था में जीवनयापन करते हैं। इन समुदायों की विशिष्ट प्रस्थिति को ध्यान में रखते हुये संविधान के अनुच्छेद 342 में इन्हें 'अनुसूचित जनजाति' के रूप में अधिसूचित किया गया है।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में सूचीबद्ध जातियाँ अनुसूचित जातियाँ कहलाती हैं।
- जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति (SC) की जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या का 15.6% है।
- मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति इंदौर में तथा न्यूनतम अनुसूचित जाति झाबुआ ज़िले में है।
- प्रतिशत के आधार पर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति उज्जैन में तथा न्यूनतम झाबुआ में है।
- राज्य की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति चमार है। अन्य जातियों में खटीक, भंगी, बलाई, बसोड़, बेड़िया आदि हैं।
- बेड़िया, अनुसूचित जाति सागर ज़िले में रहती है जो कि वंशानुगत रूप से वेश्यावृत्ति के पेशे से जुड़ी है।
- अनुसूचित जनजाति (ST) के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 342 में प्रावधान किया गया है।
- जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की आबादी, देश की कुल आबादी का 8.14% है तथा मध्य प्रदेश में इनकी आबादी, प्रदेश की कुल आबादी का 21.1% है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों (ST) की जनसंख्या पूरे भारत में सर्वाधिक है।
- प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति के लोग जनसंख्या के आधार पर धार में तथा सबसे कम भिंड में हैं।
- प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति अलीराजपुर (89%) तथा सबसे कम भिंड (0.4%) में है।
- मध्य प्रदेश में 3 सबसे बड़ी जनजातियाँ हैं- भील, गोंड तथा कोल।
- केंद्र सरकार ने राज्य की मान्यता प्राप्त कुल 46 जनजातियों में से 3 जनजातियों- बैगा, सहरिया और भारिया को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है।
- विशेष पिछड़ी जनजाति को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है, जिसका आधार है- कृषि में पूर्व प्रौद्योगिकीय स्तर, साक्षरता का न्यूनतम स्तर, अत्यंत पिछड़े एवं दूरदराज़ क्षेत्रों में निवास करना तथा स्थिर या घटती जनसंख्या।
- मध्य प्रदेश में कुल जनजातियों में भीलों की संख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। गोंडों की आबादी दूसरे स्थान पर है।

जनजातियों से संबंधित प्रमुख आयोग इस प्रकार है-

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग

अनुसूचित जाति एवं जनजातीय के हितों की अभिवृद्धि के लिये किये गए संवैधानिक प्रावधानों एवं अन्य विधिक उपबंधों के संरक्षण के लिये संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। संसद सदस्यों द्वारा की जा रही निरंतर मांग के परिप्रेक्ष्य में इसे 1978 में बहुसदस्यीय बना दिया गया। 1987 में इसका नाम अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग से बदल कर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया गया। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को दो भागों में बाँट दिया गया। यह अधिनियम 2004 से प्रभावी हुआ।

अध्याय
12

शिक्षा एवं स्वास्थ्य
(Education and Health)

सस्ती सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधा आज प्रत्येक आमजन की आधारभूत आवश्यकता है। परंतु भारत में महँगी होती शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ एक गंभीर चिंता का विषय है। वर्तमान समय में भी आमजन के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में असमानताएँ देखी जा रही है। देश के गरीब, मजदूर और किसान के बच्चे सरकारी स्कूलों की शिक्षा पर निर्भर हैं और सरकारी स्कूलों की शिक्षा प्रणाली पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। निजीकरण की प्रक्रिया के बाद शिक्षा महँगी हुई है। शिक्षा के लिये बजट में बहुत ही कम धनराशि निर्धारित की जाती है तथा निजी संस्थाओं के आने से प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का व्यापारीकरण होता जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा तो अत्यंत महँगी हो गई है। आज भी कई क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएँ अनुपलब्ध है, साथ ही जहाँ उपलब्ध है वहाँ बहुत महँगी है जो जनसामान्य के पहुँच से बाहर है। सरकार द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना चलाई गई है ताकि स्वास्थ्य सुविधा तक आम आदमी की पहुँच सुनिश्चित हो सके। समाज को रोगमुक्त रहने के लिये बेहतर दिनचर्या, पंचायत, नियंत्रित खान-पान तथा व्यसनों से भी बचने का प्रयास करना चाहिये।

12.1 महिला शिक्षा *(Women Education)*

महिला एवं पुरुष दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार साइकिल का संतुलन दोनों पहियों पर निर्भर होता है उसी प्रकार समाज का विकास भी महिला एवं पुरुष दोनों के कंधों पर आश्रित होता है। अत: दोनों को ही समाज में बराबर की दर्जा प्राप्त होना चाहिये। सही रूप में समाज के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिये नारी शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। एक अनपढ़ महिला में वो काबिलियत नहीं होती जिससे वह अपने परिवार एवं बच्चों का सही रूप में ख्याल रख सके। अत: महिलाओं का शिक्षित होना आवश्यक है क्योंकि अपने बच्चे की पहली शिक्षक माँ ही होती है। शिक्षित महिलाएँ देश, समाज एवं परिवार की उन्नति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह सिर्फ अपने बच्चों की ही नहीं आस-पास के कई लोगों की जिंदगी को बदल सकती है जो देश को विकसित करने में महत्त्वपूर्ण भूकिा अदा कर सकती है। अत: उन्हें अपनी इच्छानुसार शिक्षा ग्रहण करने का हक है जिससे वे अपने मनपसंद क्षेत्र में कार्य कर सके।

भारत में महिला शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक *(Factors Affecting Female Education in India)*

भारत में महिला शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है:

- गरीबी
- कुपोषण
- माता-पिता की खराब आर्थिक स्थिति
- अनेक प्रकार की सामाजिक पाबंदियाँ
- पारिवारिक दबाव
- उच्च शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति ना मिलना

हमारा समाज पितृसत्तात्मक है। पुरुषों की उच्च शिक्षा पर व्यय किया गया धन उसे व्यर्थ नहीं लगता। आमतौर पर पुरुषों को ही परिवार का निर्वहन करने वाला माना जाता हैं महिलाओं को पराया धन समझा जाता है अर्थात् पैसा खर्च करके उसे पढ़ाया-लिखाया जाए तो इसका कोई फायदा पितृसत्ता को नहीं होगा, क्योंकि वह तो दूसरे के घर चली जाएगी। अत: स्त्रियों की उच्च शिक्षा से जुड़ी समस्याओं के हल के लिये विशेष छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जानी चाहिये।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS
YouTube Drishti IAS
drishtiias
drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 8750187501, 011-47532596